



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-के.ए.-अ.-02052026-272200
CG-KA-E-02052026-272200

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 2080]

नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, अप्रैल 30, 2026/वैशाख 10, 1948

No. 2080]

NEW DELHI, THURSDAY, APRIL 30, 2026/VAISAKHA 10, 1948

रेल मंत्रालय

[दक्षिण पश्चिम रेलवे (ओपनलाइन)]

अधिसूचना

नई दिल्ली, 30 अप्रैल, 2026

का.आ. 2161(अ).— रेल अधिनियम, 1989 (1989 का 24) की धारा 20एफ के अनुच्छेद (6) और धारा 2 के अनुच्छेद 7ए द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केंद्र सरकार एतद्वारा नीचे दी गई तालिका स्तंभ (4) में उल्लिखित अधिकारियों को 'सक्षम प्राधिकारी' तथा नीचे दी गई तालिका स्तंभ (5) में उल्लिखित अधिकारियों को 'मध्यस्थ' के रूप में इस अधिसूचना के आधिकारिक राजपत्र में प्रकाशन की तिथि से उक्त अधिनियम के अंतर्गत ऐसे प्राधिकारी के रूप में कार्य करने के लिए अधिकृत करती है, जो नीचे दी गई तालिका स्तंभ (3) में उल्लिखित जिले से संबंधित तालिका स्तंभ (2) में उल्लिखित विशेष रेल परियोजनाओं के लिए जन हित में भूमि अधिग्रहण, अनुरक्षण, निष्पादन, प्रबंधन व परिचालित की जा रही है।

क्र.सं.	परियोजना का नाम	जिला	सक्षम प्राधिकारी	मध्यस्थ
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	संपिगे रोड - अरसीकेरे सेक्शन : अम्मासंद्रा-बाणसंद्रा स्टेशनों के बीच कि.मी. नं. 114/300-400 में समपार सं.67 के स्थान पर अधोगामी पुल का प्रस्तावित निर्माण कार्य.	डी होसहल्लि, हेग्गेरे, लिंगापुर (ग्राम) तुरुवकेरे (तालुक) तुमकूर (जिला)	विशेष भूमि अधिग्रहण अधिकारी, तुमकूर - रायदुर्गा रेलवे परियोजना, तुमकूर.	क्षेत्रीय आयुक्त, बैंगलोर.
2	संपिगे रोड - अरसीकेरे सेक्शन : बाणसंद्रा - करडी स्टेशनों के बीच कि.मी.नं. 122/500-600 में समपार सं.72 के स्थान पर अधोगामी पुल का प्रस्तावित निर्माण कार्य.	ए होसहल्लि (ग्राम) तुरुवकेरे (तालुक) तुमकूर (जिला)	विशेष भूमि अधिग्रहण अधिकारी, तुमकूर - रायदुर्गा रेलवे परियोजना, तुमकूर.	क्षेत्रीय आयुक्त, बैंगलोर.

[फा. सं. डब्ल्यू. 277/भूमि/आरयूबी(67-72)/टीटीआर]

छन्नो मल गुप्ता, प्रधान मुख्य इंजीनियर

MINISTRY OF RAILWAYS

[South Western Railway (Open Line)]

NOTIFICATION

New Delhi, the 30th April, 2026

S.O. 2161(E).— In exercise of the powers conferred by clause (6) of section 20F and clause 7A of section 2 of the Railway Act, 1989 (24 of 1989) the Central Government hereby authorizes the officers mentioned in column(4) of the table below as 'Competent Authority' and the Officers mentioned in column (5) of the table below as 'Arbitrator' to perform the functions as such authority under the said act with effect from date of publication of this notification in the official Gazette in respect of Special Railway Projects mentioned in column (2) relating to district mentioned in column (3) of the table below for land acquisition required for the public purpose of Execution, Maintenance, Management and Operation of such Special Railway Project.

Sl. No.	Name of the Project	District	Competent Authority	Arbitrator
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Sampige Road – Arsikere section: Proposed Construction of RUB at Km 114/300-400 in lieu of LC No. 67 between Ammasandra - Banasandra Stations.	D Hosahalli, Heggere, Lingapur (village) Turuvekere (Taluk) Tumakuru (Dist).	Special land acquisition officer, Tumkur - Rayadurga Railway Project, Tumkur.	Regional, Commissioner, Bangalore.

2	Sampige Road – Arsikere section: Proposed construction of RUB in lieu of LC No. 72 at Km 122/500-600 between Banasandra –Kardi Stations.	A Hosahalli (village) Turuvekere (Taluk) Tumakuru (Dist).	Special land acquisition officer, Tumkur - Rayadurga Railway Project, Tumkur.	Regional, Commissioner, Bangalore.
---	---	---	---	------------------------------------

[F. No. W. 277/Land/RUB/(67-72)TTR]

CHANNO MAL GUPTA, Principal Chief Engineer